

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 61/2023 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 08-09-2023

मुकद्दमा शीर्ष : श्री संजय कुमार पुत्र श्री राज धन, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— श्री संजय कुमार पुत्र श्री राज धन, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 15 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री संजय कुमार पुत्र श्री राज धन, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका अपना जन्म दिनांक 23-04-1998 को गांव ब्रुआ में हुआ था किन्तु अज्ञानता के कारण वादी की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में दर्ज नहीं करवाया गया है। अतः वादी अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार पुत्र श्री राज धन, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ की जन्म तिथि दिनांक 23-04-1998 का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 23-09-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार श्री संजय कुमार पुत्र श्री राज धन की जन्म तिथि 23-04-1998 को ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 24-08-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 73/2023 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 21-12-2023

मुकद्दमा शीर्ष : सुश्री सन्त कुमारी पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डा0 शौंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— सुश्री सन्त कुमारी पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डा0 शौंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 15 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

सुश्री सन्त कुमारी पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डा0 शौंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 06—07—1982 को गांव शौंग में हुआ था किन्तु अज्ञानता के कारण वादिया की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत शौंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में दर्ज नहीं करवाया गया है। अतः वादिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत शौंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि सुश्री सन्त कुमारी पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डा0 शौंग की जन्म तिथि दिनांक 06—07—1982 का पंजीकरण ग्राम पंचायत शौंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 23—09—2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार सुश्री सन्त कुमारी पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डा0 शौंग की जन्म तिथि 06—07—1982 को ग्राम पंचायत शौंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 24—08—2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 74 / 2023 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 21—12—2023

मुकद्दमा शीर्ष : श्री जयबीर सिंह पुत्र स्व0 करतार सुख, निवासी गांव व डा0 सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— सुश्री तारा देवी पुत्री स्व0 सुख चन्द, निवासी गांव व डा0 सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 15 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री जयबीर सिंह पुत्र स्व0 करतार सुख, निवासी गांव व डा0 सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसकी भतीजी सुश्री तारा देवी पुत्री स्व0 सुख चन्द का जन्म दिनांक 15—06—1972 को गांव सापनी में हुआ था किन्तु अज्ञानता के कारण उनकी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में दर्ज नहीं करवाया गया है। अतः वादी उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि सुश्री तारा देवी पुत्री स्व० सुख चन्द, निवासी गांव व डा० सापनी, तहसील सांगला की जन्म तिथि 15-06-1972 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 23-09-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार सुश्री तारा देवी पुत्री स्व० सुख चन्द, निवासी गांव व डा० सापनी, तहसील सांगला की जन्म तिथि 15-06-1972 को ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 24-08-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि० प्र०)

मुकद्दमा संख्या : एन०टी०-03/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 19-04-2024

मुकद्दमा शीर्ष : श्री रण बहादुर पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव व डा० सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि० प्र०) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— श्री रण बहादुर पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव व डा० सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि० प्र०) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 15 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री रण बहादुर पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव व डा० सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि० प्र०) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 10-09-1973 को गांव सापनी में हुआ था किन्तु अज्ञानता के कारण उसकी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब वादी उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि श्री रण बहादुर पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव व डा० सापनी की जन्म तिथि 10-09-1973 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 23-09-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार श्री रण बहादुर पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव व डा० सापनी की जन्म तिथि 10-09-1973 को ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 24-08-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 20/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 04-03-2024

मुकद्दमा शीर्ष : सुश्री राजू देवी पुत्री नरी चन्द, निवासी गांव व डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर
(हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— सुश्री राजू देवी पुत्री नरी चन्द, निवासी गांव व डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर
(हि0प्र0) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 15 के अन्तर्गत जन्म तिथि
दर्ज करने बारे।

सुश्री राजू देवी पुत्री नरी चन्द, निवासी गांव व डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)
ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के
माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 05-08-1979 को गांव सांगला में हुआ था किन्तु
अज्ञानता के कारण वादिया की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में
दर्ज नहीं करवाया गया है। अतः वादिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं
मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि
सुश्री राजू देवी पुत्री नरी चन्द, निवासी गांव व डा0 सांगला की जन्म तिथि दिनांक 05-08-1979 का
पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो
वह आगामी तारीख पेशी 23-09-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर
सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार सुश्री राजू देवी
पुत्री नरी चन्द, निवासी गांव व डा0 सांगला की जन्म तिथि 05-08-1979 को ग्राम पंचायत सांगला के जन्म
एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 24-08-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 21/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 04-03-2024

मुकद्दमा शीर्ष : श्री ईश्वर दास पुत्र धन बहादुर, निवासी गांव व डा0 बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर
(हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— श्री ईश्वर दास पुत्र धन बहादुर, निवासी गांव व डा0 बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 15 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री ईश्वर दास पुत्र धन बहादुर, निवासी गांव व डा0 बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 29-09-1979 को गांव बटसेरी में हुआ था किन्तु अज्ञानता के कारण वादी की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बटसेरी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में दर्ज नहीं करवाया गया है। अतः वादी अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बटसेरी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि श्री ईश्वर दास पुत्र धन बहादुर, निवासी गांव व डा0 बटसेरी की जन्म तिथि दिनांक 29-09-1979 का पंजीकरण ग्राम पंचायत बटसेरी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 23-09-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार श्री ईश्वर दास पुत्र धन बहादुर, निवासी गांव व डा0 बटसेरी की जन्म तिथि 29-09-1979 को ग्राम पंचायत बटसेरी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 24-08-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 22/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 04-03-2024

मुकद्दमा शीर्ष : श्री ईश्वर दास पुत्र धन बहादुर, निवासी गांव व डा0 बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— श्री ईश्वर दास पुत्र धन बहादुर, निवासी गांव व डा0 बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 15 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री ईश्वर दास पुत्र धन बहादुर, निवासी गांव व डा0 बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के

माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र श्री साहिल का जन्म दिनांक 02-04-2003 को गांव बटसेरी में हुआ था किन्तु अज्ञानता के कारण वादी के पुत्र की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बटसेरी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में दर्ज नहीं करवाया गया है। अतः वादी अपने पुत्र की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बटसेरी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि श्री ईश्वर दास पुत्र धन बहादुर, निवासी गांव व डा0 बटसेरी के पुत्र श्री साहिल की जन्म तिथि दिनांक 02-04-2003 का पंजीकरण ग्राम पंचायत बटसेरी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 23-09-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार श्री ईश्वर दास पुत्र धन बहादुर, निवासी गांव व डा0 बटसेरी के पुत्र श्री साहिल की जन्म तिथि 02-04-2003 को ग्राम पंचायत बटसेरी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 24-08-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 26/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 26-03-2024

मुकद्दमा शीर्ष : सुश्री अन्वेषा नेगी पुत्री प्याल पुर, निवासी गांव व डा0 सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— सुश्री अन्वेषा नेगी पुत्री प्याल पुर, निवासी गांव व डा0 सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 15 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

सुश्री अन्वेषा नेगी पुत्री प्याल पुर, निवासी गांव व डा0 सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसकी स्वयं का जन्म दिनांक 17-04-1990 को गांव सापनी में हुआ था किन्तु अज्ञानता के कारण वादिया की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में दर्ज नहीं करवाया गया है। अतः वादिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि सुश्री अन्वेषा नेगी पुत्री प्याल पुर, निवासी गांव व डा0 सापनी की जन्म तिथि 17-04-1990 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 23-09-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा सुश्री अन्वेषा नेगी पुत्री प्याल पुर,

निवासी गांव व डा0 सापनी की जन्म तिथि 17-04-1990 को ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 24-08-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 27 / 2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 26-06-2024

मुकद्दमा शीर्ष : सुश्री सुशील कुमारी, निवासी गांव बोनिंग सारिंग, डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— सुश्री सुशील कुमारी, निवासी गांव बोनिंग सारिंग, डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 15 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

सुश्री सुशील कुमारी पुत्री गउ सैन, निवासी गांव बोनिंग सारिंग, डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 15-10-1965 को गांव बोनिंग सारिंग में हुआ था किन्तु अज्ञानता के कारण वादिया की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत थैमगारग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में दर्ज नहीं करवाया गया है। अतः वादिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत थैमगारग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि सुश्री सुशील कुमारी, निवासी गांव बोनिंग सारिंग, डा0 सांगला की जन्म तिथि दिनांक 15-10-1965 का पंजीकरण ग्राम पंचायत थैमगारग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 23-09-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार सुश्री सुशील कुमारी, निवासी गांव बोनिंग सारिंग, डा0 सांगला की जन्म तिथि 15-10-1965 को ग्राम पंचायत थैमगारग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 24-08-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकदमा संख्या : 28/2024 किस्म मुकदमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 18-04-2024

मुकदमा शीर्ष : सुश्री सरला देवी पुत्री जारबी नन्द, निवासी गांव व डा0 छितकुल, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। . . वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— सुश्री सरला देवी पुत्री जारबी नन्द, निवासी गांव व डा0 छितकुल, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 15 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

सुश्री सरला देवी पुत्री जारबी नन्द, निवासी गांव व डा0 छितकुल, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 18-03-1957 को गांव छितकुल में हुआ था किन्तु अज्ञानता के कारण वादिया की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत छितकुल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में दर्ज नहीं करवाया गया है। अतः वादिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत छितकुल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि सुश्री सरला देवी पुत्री जारबी नन्द, निवासी गांव व डा0 छितकुल अपनी जन्म तिथि दिनांक 18-03-1957 का पंजीकरण ग्राम पंचायत छितकुल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 23-09-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार सुश्री सरला देवी पुत्री जारबी नन्द, निवासी गांव व डा0 छितकुल की जन्म तिथि 18-03-1957 को ग्राम पंचायत छितकुल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 24-08-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकदमा संख्या : 74/2023 किस्म मुकदमा : दुरुस्ती इन्द्राज तारीख दायर : 21-12-2023

मुकदमा शीर्ष : श्री मेडुब दर्जे उर्फ नायडूब दोर्जे, निवासी गांव व डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। . . वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— राजस्व माल कागजात में हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेरे धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्री मेडुब दर्जे उर्फ नायडुब दोर्जे, निवासी गांव व डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का नाम पटवार वृत्त सांगला मौजा सांगला के राजस्व माल कागजात में मेडुब दर्जे पुत्र टाशी ज़ालछन पुत्र नरोतम दास दर्जे है जो कि गलत दर्जे हुआ है, जबकि वादी का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड में मेडुब दर्जे उर्फ नायडुब दोर्जे दर्जे है। वादी राजस्व माल कागजात मौजा सांगला में अपना नाम मेडुब दर्जे पुत्र टाशी ज़ालछन पुत्र नरोतम दास के स्थान पर मेडुब दर्जे उर्फ नायडुब दोर्जे दर्जे करवाना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों के पाया कि वादी का नाम राजस्व माल कागजात में मेडुब दर्जे पुत्र टाशी ज़ालछन पुत्र नरोतम दास गलत दर्जे हुआ है, जबकि वादी का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड में मेडुब दर्जे उर्फ नायडुब दोर्जे है और वादी को ग्राम वासी भी इसी नाम से जानते व पुकारते हैं (ब्यान सलग्न)। वादी के नाम की दुरुस्ती राजस्व माल कागजात में की जानी वाजिब है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी के नाम राजस्व माल कागजात मौजा सांगला में मेडुब दर्जे पुत्र टाशी ज़ालछन पुत्र नरोतम दास के स्थान पर मेडुब दर्जे उर्फ नायडुब दोर्जे पुत्र टाशी ज़ालछन पुत्र नरोतम दास दर्जे करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी दिनांक 23-09-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व माल कागजातों में वादी के नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 24-08-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 77 / 2023

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

तारीख दायर : 21-12-2023

मुकद्दमा शीर्ष : श्री राज गोपाल पुत्र स्व0 केदार चन्द, निवासी गांव व डा0 बोनिंग सारिंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

.. वादी।

बनाम

आम जनता

.. प्रतिवादी।

विषय.— राजस्व माल कागजात में हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेरे धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्री राज गोपाल पुत्र स्व0 केदार चन्द, निवासी गांव व डा0 बोनिंग सारिंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के पिता का नाम पटवार वृत्त सांगला, मौजा सांगला के राजस्व माल कागजात में सनम राम पुत्र छेरिंग नरगू गलत दर्जे हुआ है, जबकि वादी के पिता का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर केदार चन्द है। वादी राजस्व माल

कागजात मौजा सांगला में अपने पिता का नाम सनम राम पुत्र छेरिंग नरगू के स्थान पर केदार चन्द दर्ज करवाना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों के पाया कि वादी के पिता का नाम राजस्व माल कागजात में सनम राम पुत्र छेरिंग नरगू गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी के पिता का मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, ब्यानात गांववासी सांगला के केदार चन्द है जो कि सही है। ग्राम वासी भी वादी के पिता को इसी नाम से जानते व पुकारते थे मुताबिक सायल के पिता का नाम सनम राम के स्थान पर केदार चन्द दुरुस्त किया जाना उचित है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी श्री राज गोपाल के पिता का नाम राजस्व माल कागजात मौजा सांगला में सनम राम पुत्र छेरिंग नरगू के स्थान पर केदार चन्द दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी दिनांक 23-09-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व माल कागजातों में वादी के पिता का नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 24-08-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 78/2023 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज तारीख दायर : 21-12-2023

मुकद्दमा शीर्ष : श्री तीर्थ राम पुत्र हीरा पदम उर्फ राम पदम, निवासी गांव व डा0 कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। . . वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— राजस्व माल कागजात में हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्री तीर्थ राम पुत्र हीरा पदम उर्फ राम पदम, निवासी गांव व डा0 कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का नाम पटवार वृत्त कामरू के राजस्व माल कागजात मुहाल कामरू खास में तिलक राम पुत्र हिरा पदम उप नाम राम पदम पुत्र वास पूर दर्ज है जो कि गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर एवं आधार कार्ड अनुसार तीर्थ राम पुत्र हीरा लाल है वादी राजस्व माल कागजात मुहाल कामरू खास में अपना नाम तिलक राम पुत्र हीरा लाल पुत्र पदम उप नाम राम पदम पुत्र वास पूर के स्थान पर तीर्थ राम पुत्र हीरा पदम उर्फ राम पदम पुत्र वास पूर दर्ज करना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों के पाया कि वादी का नाम राजस्व माल कागजात मुहाल कामरू खास में तिलक राम पुत्र हिरा पदम उप नाम राम पदम पुत्र वास पूर दर्ज है जो कि गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी का वास्तविक नाम मुताबिक

नकल परिवार रजिस्टर एवं आधार कार्ड अनुसार तीर्थ राम पुत्र हीरा लाल है मौका छानबीन के पाया कि वादी का सही नाम तीर्थ राम पुत्र हीरा लाल है। वादी के नाम की दुरुस्ती राजस्व माल कागजात में की जानी वाजिब है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी के नाम राजस्व माल कागजात में तिलक राम पुत्र हिरा पदम उप नाम राम पदम पुत्र वास पूर के स्थान पर तीर्थ राम पुत्र हीरा पदम उर्फ राम पदम पुत्र वास पूर दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी दिनांक 23-09-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व माल कागजातों में वादी के नाम दुरुस्ती बारे राजस्व माल कागजात मौजा सापनी में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 24-08-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 80/2023 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज तारीख दायर : 21-12-2023

मुकद्दमा शीर्ष : सुश्री लच्छमी देवी पुत्री ठाकुर दास, निवासी गांव व डा0 कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। . . वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— राजस्व माल कागजात में हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

सुश्री लच्छमी देवी पुत्री ठाकुर दास, निवासी गांव व डा0 कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिया का नाम पटवार वृत्त कामरू के राजस्व माल कागजात में कुमारी टूनी पुत्री ठाकुर दास पुत्र पदम सागर दर्ज है जो कि गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादिया का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण-पत्र अनुसार लच्छमी देवी पुत्री ठाकुर दास पुत्र पदम सागर है। वादिया राजस्व माल कागजात मौजा कामरू में अपना नाम कुमारी टूनी के स्थान पर लच्छमी देवी पुत्री ठाकुर पुत्र पदम सागर दर्ज करवाना चाहती है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों के पाया की वादिया का नाम राजस्व माल कागजात में कुमारी टूनी पुत्री ठाकुर दास पुत्र पदम सागर गलत तस्दीक हुआ है, जबकि वादी का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड में लच्छमी देवी पुत्री ठाकुर दास पुत्र पदम सागर है। मौका छानबीन के पाया कि मृतक ठाकुर दास की एक पुत्री है इसके अलावा और कोई सन्तान नहीं है, कुमारी टूनी और लच्छमी देवी एक ही व्यक्ति हैं। ग्राम वासी भी वादिया को इसी नाम से जानते व पुकारते हैं। वादिया के नाम की दुरुस्ती राजस्व माल कागजात में की जानी वाजिब है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादिया का नाम राजस्व मालकागजात मौजा कामरू में कुमारी टूनी के स्थान पर लछमी देवी पुत्री ठाकुर पुत्र पदम सागर दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी दिनांक 23-09-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व माल कागजातों में वादिया के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 24-08-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 81/2023 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज तारीख दायर : 21-12-2023

मुकद्दमा शीर्ष : श्री अर्जुन देव पुत्र श्री पूर्व लाल, निवासी गांव व डा0 सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। . . वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— राजस्व माल कागजात में हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्री अर्जुन देव पुत्र श्री पूर्व लाल, निवासी गांव व डा0 सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का नाम पटवार वृत्त सापनी के राजस्व माल कागजात मुहाल सापनी खास में अर्जुन पुत्र पूर्व लाल पुत्र सुख लाल व मुहाल पाटयो में अर्जुन सिंह पुत्र पूर्व लाल पुत्र सुख लाल दर्ज है जो कि गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण-पत्र अनुसार अर्जुन देव पुत्र पूर्व लाल है वादी राजस्व माल कागजात मौजा सापनी में अपना नाम अर्जुन, अर्जुन सिंह के स्थान पर अर्जुन देव पुत्र पूर्व लाल पुत्र सुख लाल दर्ज करवाना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों के पाया कि वादी का नाम राजस्व माल कागजात के मुहाल सापनी खास में अर्जुन पुत्र पूर्व लाल पुत्र सुख लाल व मुहाल पाटयो में अर्जुन सिंह पुत्र पूर्व लाल पुत्र सुख लाल गलत तस्दीक हुआ है, जबकि वादी का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड अर्जुन देव पुत्र पूर्व लाल है। मौका छानबीन के पाया कि वादी का सही नाम अर्जुन देव पुत्र पूर्व लाल है वादी को इलाके में अर्जुन देव के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाता है। वादी के नाम की दुरुस्ती राजस्व माल कागजात में की जानी वाजिब है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी का नाम राजस्व माल कागजात मौजा सापनी में अर्जुन, अर्जुन सिंह पुत्र पूर्व लाल पुत्र सुख लाल के स्थान पर अर्जुन देव पुत्र पूर्व लाल पुत्र सुख लाल दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी दिनांक 23-09-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व माल कागजातों में वादी के नाम दुरुस्ती बारे राजस्व मालकागजात मौजा सापनी में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 24-08-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
